प्रो. श्री सतीश कुमार श्री युत एच.एस.डी स्टोन क्रशर गांव व डाकघर टकारला तहसील अम्ब जिला ऊना (हि. प्र.) द्वारा मौजा टकारला, तहसील अम्ब जिला ऊना (हि.प्र.) में रक्बा तदादी 16-09-45 हैक्टेयर में पत्थर, रेत व बजरी के खनन एवं संग्रहण के प्रस्ताव पर पर्यावरण जन सुनवाई के आयोजन सम्बन्धी कार्यवाही का विवरण:

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 09 जुलाई, 2014 को प्रातः 11:00 बजे गांव व डाकघर टकारला तहसील अम्ब जिला ऊना (हि.प्र.) द्वारा मौजा टकारला, तहसील अम्ब जिला ऊना (हि.प्र.) में रक्बा तदादी 16-09-45 हैक्टेयर में पत्थर, रेत व बजरी के खनन एवं संग्रहण के प्रस्ताव पर पर्यावरण जन सुनवाई भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ऊना की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों की सूची संलग्नक-1 पर उपलब्ध है। इस जन सुनवाई के दौरान स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी, खनन अधिकारी व अन्य विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी व पंचायत प्रधान टकारला, व साथ लगती पंचायतों बड़ूही, दियाड़ा व हम्बोली एवं गांव पंचायत टकारला व बड़ूही व साथ लगते गावों के निवासी उपस्थित थे। सर्व प्रथम हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के वरिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, ऊना ने अध्यक्ष महोदय व जनता का अभिनन्दन किया व जन सुनवाई की कार्यवाही प्रक्रिया शुरू की । अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ऊना ने उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित करते हुए कहा कि इस खनन क्षेत्र के सम्बंध में कोई भी सुझाव, विचार एवं शिकायत हो तो निंसकोच पूछ सकते हैं। तत्पश्चात स्टोन क्रशर के परामर्शदाता अशीश कुमार वर्मा (तकनीकी पर्यावरण सेवा) मैसर्ज़ ग्रास रूट रिसर्च एंड क्रियेशन इण्डिया प्राईवेट लिमिटड के प्रतिनिधि द्वारा खनन क्षेत्र के प्रारूप और विस्तरित पर्यावरण प्रभाव निर्धारण के बारे में जन समूह को अवगत करवाया गया ।

इसके उपरान्त अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जन सुनवाई की प्रक्रिया आरंभ की गई । इस जन सुनवाई की संपूर्ण कार्यवाही की विडियोग्राफी भी की गई। इस जन सुनवाई के दौरान उठाए गए मुद्दों एवं उन पर की गई टिप्पणियों की कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार से है-

क्र.	नाम व पता	मुद्दे	उठाए गए मुद्दों पर टिप्पणी
1.	रामेश चन्द पुत्र रामदास गांव धन्धड़ी ग्राम पंचाय टकारला, जिला ऊना	उन्होने कहा कि खनन कैसे किया जायेगा व इसे कौन सुनिश्चित करेगा तथा यह चारागाह क्षेत्र हैं जिसे खनन पट्टे के लिए न दिया जाये। गांव के कुओं का पानी सूख रहा है, जो खनन पहले किया है वो बहुत ज्यादा गहरा किया गया है।	परियोजना के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि खनन वैज्ञानिक तरीके से नियमानुसार ही किया जायेगा तथा खनन विभाग समय-समय पर इसका निरीक्षण करता रहेगा। इस खनन पट्टे की समय-समय पर वायु ओर जल गुणवत्ता को हर छः माह में निरीक्षण किया जायेगा और इसकी सूचना पर्यावरण विभाग को दी जायेगी। कुएँ के पानी का स्तर खनन प्रक्रिया से नहीं गिरेगा, क्योंकि खनन तीन फुट तक ही किया जायेगा या तीन फुट से पहले जहां पर भूमिगत जल स्तर आ जायेगा वहां पर खनन प्रक्रिया को सेक दिया जायेगा।
2.	श्री राजेन्द्र	उन्होने कहा कि यह रकबा खनन पट्टे	हल्का पटवारी द्वारा बताया गया कि

	कुमार पुत्र श्री रामदास निवासी ग्राम पंचायत टकारला, तह. अम्ब, जिला ऊना (हि.प्र.)	के लिए स्वीकृत न किया जाये क्योंकि यह पशुओं की चरागाह है।	राजस्व रिर्पोट के अनुसार खसरा न. 1161, 1162 में भूमि की किस्म गैर मुमकिन खड्ड है न कि चारागाह।
3.	श्री अर्जुन सिंह प्रधान ग्राम पंचायत दियाड़ा, तह. अम्ब, जिला ऊना (हि.प्र.)	उन्होने कहा कि यह क्षेत्र पशुओं के लिए चरागाह के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। इसे खनन पटटे के लिए दिया जाये। इससे लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा व अवैध खनन भी रूकेगा।	
4.	श्री मेहर चन्द प्रधान ग्राम पंचायत बड़ूही, तह. अम्ब, जिला ऊना (हि.प्र.)	इन्होने कहा कि खडड तीन गांवों टकराला, बड़ूही व दियाड़ा दिलवां से होकर जाती है इसका खनन पट्टा दिया जाना चाहिए क्योंकि खनन बंद होने से रेत बजरी के मूल्य काफी बढ़ गये हैं तथा अवैध खनन भी बढ़ गया है। मै इसका सर्मथन करता हूँ व साथ में सुझाव देता हूँ कि जो हमारे रास्ते खराब होते हैं उनको ठीक करने में परियोजना द्वारा मदद की जाये। खनन क्षेत्र की अच्छे ढंग से बाँऊडरी लगाई जाये । नियमित रूप से खनन क्षेत्र का निरीक्षण किया जाये तथा इसमें स्थानीय निवासियों को भी निरीक्षण कमेटी में लिया जाये। खनन पट्टा मिलने से खडड मे अवैध खनन रूकेगा जिससे सरकार को राजस्व भी मिलेगा। मजदूरों के लिए शौचालयों का प्रबंध किया जाये तथा सस्ते मूल्यों पर स्थानीय लोगों को रेत बजरी दी जाये।	परियोजना प्रतिनिधि ने कहा कि हम पंचायतों की हर सम्भव सहायता करेंगे । मजदूरों के लिए शौचालय का प्रबन्ध करेंगे तथा गरीब परिवारों व धार्मिक स्थलों के लिए मुफत बजरी उपलब्ध करवायेंगे। खनन पटटे की सही निशानदेही करके पक्की बुरजियां स्थापित की जाएँगी।
5.	श्री सरवण सिंह प्रधान ग्राम पंचायत हम्बोली, जिला ऊना	उन्होने कहा कि इस क्षेत्र को खनन पटटे के लिए दिया जाना चाहिए, परन्तु नियमानुसार खनन किया जाना चाहिए। खनन बंद होने से अवैध खनन बढ़ा है। मेरा यह सुझाव है कि इससे अवैध खनन रूकेगा व विकास कार्यो में तेजी आयेगी।	परियोजना के अधिकारी द्वारा बताया गया कि खनन वैज्ञानिक ढंग से व नियमानुसार ही किया जायेगा।

6.	श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री बलवन्त सिंह गांव व डाकघर चुरूड़, जिला ऊना	उन्होने कहा कि यदि वैज्ञानिक ढंग से खनन किया जाये तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। खनन तय मापदंडों के अनुसार ही किया जाये तथा समय समय पर सम्बन्धित विभाग द्वारा इसका निरीक्षण किया जाऐ। आसपास की छोटी नदियों को भी खनन पटटे पर दिया जाये ताकि अवैध खनन रोका जा सके।	परियोजना के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि खनन वैज्ञानिक ढंग से व नियमानुसार ही किया जायेगा।
7.	श्री राकेश लटठ, उपप्रधान, गांव हम्बोली	इन्होने कहा कि खनन बंद होने से सारे विकास कार्य रूक गये हैं। मेरा यह सुझाव है कि खनन तीन फीट या भूजल स्तर तक ही किया जाये । खनन पट्टा स्वीकृत किया जाये इसके अलावा अन्य खडडों को भी खनन पटटे पर दिया जाना चाहिए ताकि विकास कार्य हो सकें जिससे अवैध खनन रोका जा सके तथा इससे राजस्व में बृद्धि होगी।	
8.	श्री कुलभूशण लटठ सचिव सोसाइटी, गांव व डाक. टकारला तह. अम्ब, जिला ऊना (हि.प्र.)	इन्होने कहा कि पक्के स्तम्भ लगाये जाएँ तथा समय-समय पर खनन स्थल का निरीक्षण किया जाये व सुनिश्चित किया जाये कि खनन सरकारी नियमानुसार किया जा रहा है।	परियोजना के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि खनन वैज्ञानिक नियमानुसार ही किया जायेगा। तथा निशानदेही करके खनन क्षेत्र में पक्की बुर्जियां स्थापित की जाएँगी।
9.	श्री सीता राम ठाकुर, प्रधान ग्राम पंचायत ठठल, तह. अम्ब, जिला ऊना (हि.प्र.)	उन्होने कहा कि खनन पट्टा दिया जाना चाहिए। इससे विकास कार्य को गति मिलेगी व अवैध खनन पर रोक लगेगी।	
10.	श्री विजय कुमार प्रधान ग्राम पंचायत टकारला, तह. अम्ब, जिला ऊना (हि.प्र.)	उन्होने कहा कि खनन पट्टा दिया जाना चाहिए। खनन पट्टाधारी को गांव के विकास के लिए सहयोग करना चाहिए । खनन सरकारी नियमानुसार किया जाना चाहिए व खनन दिन में ही किया जाये रात में नहीं ।	परियोजना के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि खनन वैज्ञानिक ढंग से व नियमानुसार ही किया जायेगा।

11.	श्री सुभाष चन्द चौधरी पुत्र श्री नन्थू राम गांव टकारला, जिला ऊना	उन्होने कहा कि खनन करने से कुओं का पानी सूख रहा है व खेती बाड़ी को नुकसान पहुँच रहा है।	परियोजना प्रतिनिधि ने कहा कि हम खनन तीन फुट या तीन फुट से कम भूजल स्तर तक ही करेंगे। भूजल स्तर को नहीं छेड़ा जायेगा व इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि जल स्तर न गिरे। उन्होंने कहा कि जल स्तर का गिरना व्यापक प्रक्रिया है व इसके बहुत से कारण हैं।
12.	श्रीमति निर्मला देवी पत्नी श्री दौलत राम गांव निवासी शिव नगर, टकारला, जिला ऊना	इन्होने कहा कि कुँओं का पानी सूख रहा है तथा खडड में काफी गहरे-गहरे खडडे किया जा रहे हैं व बाहर वालों को जमीन न दी जाये।	परियोजना प्रतिनिधि ने कहा कि हम पर्यावरण स्वीकृति के बाद नियमानुसार ही कार्य करेंगे। हम अभी इस क्षेत्र में खनन नहीं कर रहे हैं। अतः जल स्तर गिरने में हमारी कोई भूमिका नहीं है।

अन्त में वरिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ऊना ने सभी प्रतिभागियों और स्थानीय प्रशासन का पर्यावरण सम्बन्धी जन सुनवाई में भाग लेने पर धन्यवाद किया ।

सलंग्नः

जन सुनवाई में उपस्थित गांव वासियों द्वारा लिखित रूप में दी गई सुझाव एवं आपत्तियों की छायाप्रतियां संलग्न की गई हैं तथा संख्या नं. 2 में पूछे गये प्रश्न के उत्तर में हल्का पटवारी द्वारा प्रमाण पत्र एवं फरद खसरा संख्या 1161, 1162 की छायाप्रतियां संलग्न की गई है।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
A.D.M. जिला ऊना (हि.प्र.)
Una (H.P.)